


23/12/25

अधिवक्ता अपीलाण्ट उप०/पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रकरण में आदेशिका दिनांक 5/12/2024 के द्वारा अधिवक्ता
अपीलाण्ट की समस्त रेसपो. के पंजीकृत सामन पेश करने
हेतु निर्देशित किया गया। अधिवक्ता द्वारा
भाष्य दिनांक तह न्यायालय दाय्या के उक्त आदेश की पाठ्या
नहीं की गई। लेकिन इसके लिए अधिवक्ता अपीलाण्ट की
अनेकानेक अवसर दिए जाने के बावजूद जान-बूझकर
रेसपो. की तामिणी हेतु पंजीकृत सामन पेश नहीं किये गये।
अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय आदेश की
अवहेलना करने से उक्त अपील अदम तन्मीण में खारिज
की जाती है। पत्रावली फैंसल बुमार होकर नम्बर से झंझो।


राजस्थान अपील प्राधिकरण
पत्रावली